राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
51/2025	08.07.2025	24.10.2025

बउनवान

1. नरेन्द्र पुत्र विजय, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. महेन्द्र पुत्र विजय, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री खेमसिंह गुर्जर।

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956**

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की विवादित आराजी भूमि खाता सं. 181 के खसरा सं. 1341 रकबा 0.05 हैक्टे., 1342 रकबा 0.35 हैक्टे, 1343 रकबा 0.03 हैक्टे., 852 रकबा 0.03 हैक्टे., 853 रकबा 0.82 हैक्टे., कुल खसरे 5, कुल रकबा 1.28 हैक्टे. ग्राम हल्दैना, पटवार हल्का हल्दैना, तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिस पर प्रार्थी की कब्जा काश्त की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी की आराजी पर बहुत लम्बे समय से ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं और अपने उपयोग उपभोग में अपनी सुविधानुसार ले रहे है। प्रार्थीगण के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की कोई भी साझेदारी व भागीदारी उक्त आराजी में नही है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम मौजूदा जमाबंदी में नाम इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की मौके पर किसी भी प्रकार की कोई पत्थरगढी नहीं कर रखी है, डोलमेढ बना रखी है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की पैमाईश/सीमाज्ञान बाबत दिनांक 05.06.2025 को जिला कलेक्टर दौसा के पूर्व पत्र क्रमांक 2282 दिनांक 25.04.2023 की पालना में एवं तहसीलदार (भू.अ.) मण्डावर के पत्र क्रमांक 287–90 दिनांक 19.02.2025 की पालना में गठित राजस्व टीम व श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर के आदेश क्रमांक 1465–1474 दिनांक 12.05.2025 की पालना में गठित भूप्रबन्ध टीम मय संयुक्त टीम उक्त आराजी खसरा नंबर के निशानदेही कार्य हेतु मौके पर पहुंचे। उक्त खसरा नंबर का जरीब चला कर सीमाज्ञान किया गया एवं निशानात लगाये गये। मौके पर पर्चा रिपोर्ट बनाया गया मगर उस समय मौका पर पत्थरगढी नहीं की गयी। दिनांक 12.06.2025 को प्रार्थीगण अप्रार्थी के कार्यालय तहसील मण्डावर में गये और उन्होंने सीमाज्ञान के मुताबिक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पत्थरगढी की बात कहीं और कहा कि डोलमेढ मिटने जा रही है जिससे पडौसी खातेदारों व हमारे मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। आप हमारी भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवा दे जिस पर तहसीलदार मण्डावर ने कहा कि पत्थरगढी के आदेश करने का कार्य मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। आप एसडीओ के न्यायालय से आदेश लेकर आओ, तब पत्थरगढी करेगें और तहसीलदार ने पत्थरगढी करवाने से मना कर दिया। इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी आया है। प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है और पृथक से दफा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश है। वाक्या ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में उत्पन्न हुआ है। इसलिये प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर निश्चित न्याय शुल्क चस्पा है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगें। अतः अर्ज है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मण्डावर को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी की विवादित आराजी खसरा सं. 1341, 1342, 1343, 852, 853 का सीमाज्ञान/पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार साहब मण्डावर को किया जावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तामील करवाई गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार मण्डावर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ग्राम हल्दैना की वर्तमान जमाबंदी खाता सं. 181 ख.न. 1341/0.05, 1342/0.35, 1343/0.03, 852/0. 03, 853/0.82, कुल किता 5, कुल रकबा 1.28 हैक्टे. नरेन्द्र पुत्र विजय हिस्सा 1/2, महेन्द्र पुत्र विजय हिस्सा 1/2 जाति मीना सा.देह राहिन पीएनबी शाखा गढीसवाईराम दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीदार मण्डावर के आदेश क्रमांक/भू.अ. /संस्था/2025/2018–26 दिनांक 02.06.2025 की पालना में गठित टीम दिनांक 05.06.2025 को मौका पर भू–प्रबन्ध विभाग अलवर द्वारा किये सीमाज्ञान के समय मय रिकॉर्ड मौके पर उपस्थित रहे। उक्त खसरा नम्बरान पर मौके पर काश्त की हुई है एवं उक्त खसरों के आस–पास के खसरों में भी वर्तमान में फसल बोयी हुई है। फसल काटने के बाद की पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त खसरा नम्बरान की जब भी पत्थरगढी की कार्यवाही की जावेगी, उस समय पडौसी खातेदारों में विवाद होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता व उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी संभव है।

3. पत्रावली का एवं खाता की प्रस्तुत नकल जमाबंदी व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 ग्राम हल्दैना, पटवार हल्का हल्दैना, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 1341, 1342, 1343, 852, 853 कुल किता 5, कुल रकबा 1.28 हैक्टे. भूमि के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात खसरा सं. 1341, 1342, 1343, 852, 853, कुल किता 5, कुल रकबा 1.28 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू अभिलेख निरीक्षक हल्दैना को 2000/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात् प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी का कार्य नही किया जावें। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक हल्दैना मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण, पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते